



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 773 राँची, मंगलवार

26 दिसम्बर, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर, 2023

विषय:

दिनांक 18.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा दिनांक 22.03.2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में किए गए सम्पूर्ण व्यवस्थाओं हेतु मनोयन (Nomination) के आधार पर लिए गए कार्य एवं इसके आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय कुल ₹ 41,98,252/- (एकतालीस लाख अनठानबे हजार दो सौ बावन रुपये) के भुगतान पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

संचिका संख्या-क्री०नि०-27/खे०आ०-02/2021 09--मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश तथा मुख्यमंत्री एकादश बनाम मीडिया एकादश क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन क्रमशः 18 मार्च, 2021 को जे०एस०सी०ए० स्टेडियम, धुर्वा, राँची में एवं 22 मार्च, 2021 को बिरसा मुण्डा एथलेटिक्स स्टेडियम, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटवार, राँची में कराने का निदेश दिनांक 16.03.2021 को प्राप्त हुआ। इतने अल्प समय में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन निविदा/कोटेशन आमंत्रित कर खेल किट, खेल सामग्री, खेल उपकरण, भोजनादि की व्यवस्था, टेन्टेज संबंधी कार्य, पी०ए० सिस्टम,

वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी, फ्लैक्स/होर्डिंग्स मुद्रण इत्यादि की व्यवस्था कराना संभव नहीं था। प्राप्त निदेश के आलोक में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन एवं उक्त आयोजन में किए जाने वाले कार्यों की अपरिहार्यता को देखते हुए वैसे सभी फर्मों से समन्वय स्थापित किया गया जो इतने अल्प समय में आयोजन से संबंधित आवश्यक खेल उपकरणों की आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थाओं करने हेतु सहमत हो। सहमत फर्मों/एजेन्सियों को क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाओं हेतु पूर्व में की गई निविदा की दर/बाजार दर पर कार्य करने हेतु मनोनयन के आधार पर कार्यादेश निर्गत किया गया।

2. वित्तीय नियमावली के नियम - 235 के अनुसार सरकारी धनराशि से किसी भी सामग्री का क्रय अथवा सेवा प्राप्ति हेतु टेन्डर किया जाना आवश्यक है परंतु प्रश्नगत मामले में समयाभाव के कारण इन वित्तीय नियमों एवं वित्तीय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में सक्षम स्तर से घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 235 को नियम - 245 के तहत शिथिल करते हुए सभी संबंधित सहमत फर्मों/एजेन्सियों को क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पूर्व में की गई निविदा की दर/बाजार दर पर कार्य करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया।

एजेन्सियों/फर्मों जिनको मनोनयन के आधार पर कार्यादेश निर्गत किया गया था की सूची एवं उनके द्वारा आयोजन के उपरान्त समर्पित विपत्र की राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र.सं.	फर्म/एजेन्सी का नाम	कार्य, जिसके लिए आदेश दिया गया था	संबंधित विपत्र की कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मेसर्स कावेरी रेस्टोरेन्ट, राँची	भोजनादि की व्यवस्था	4,12,125.00	मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश (दिनांक- 18.03.2021 तथा मुख्यमंत्री एकादश बनाम मीडिया एकादश (दिनांक- 22.03.2021) मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन हेतु
2	मेसर्स स्पोर्ट्सलाईन, राँची	ट्रॉफी एवं मोमेंटो	68,632.00	
3	मेसर्स राज स्पोर्ट्स कम्पनी०, मेन रोड, राँची	खेल कीट, खेल उपकरण, खेल सामग्री	34,30,822.00	
4	मेसर्स पी०के०एम० इवेंट मैनेजमेन्ट, राँची	पी०ए० सिस्टम एवं साज-सज्जा	66,394	
5	मेसर्स श्री बालाजी टेन्ट हाऊस, धुर्वा, राँची (जे०एस०सी०ए० से सम्बद्ध एजेन्सी)	टेन्टैज कार्य	60,239	
6	मेसर्स बाबा वीडियो, राँची	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	30,680.00	
7	दिव्यांश कृति फ्युल सेन्टर नगड़ी, राँची (जे०एस०सी०ए० के माध्यम से)	हाई मास्ट लाईट की व्यवस्था	1,29,360.00	

मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन एवं उक्त आयोजन में किए जाने वाले कार्यों की अपरिहार्यता को देखते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए उपर्युक्त अंकित एजेन्सियों के मनोनयन एवं उक्त आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय रु० 41,98,252/- (एकतालीस लाख अनठानबे हजार दो सौ बावन रुपये) के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।

3. उपर्युक्त राशि का व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष - 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - उप शीर्ष - 50 - अन्तरराष्ट्रीय से पंचायत स्तर तक का खेल प्रतियोगिता का आयोजन/भागीदारी एवं साहसिक खेल - विस्तृत शीर्ष - 07 - अन्य व्यय - प्राथमिक इकाई - 61 - क्रीड़ा प्रोत्साहन इकाई मद से विकलनीय होगा ।
4. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 15.12.2023 को आहूत बैठक के मद सं०- 03 के रूप में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
